

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ ।

आदेश पत्रक

इनामूल मिठाई बनाने आदेश अनुसार तक

क्र - ता०

वाद संख्या- 34 /2021-22

बालूमाथ जिला- लातेहार

विविध वाद

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

आदेश की फॉर्स और तारीख

1

2

3

27.09.2021

आवेदक इनामूल मिठाई पिकाइरी मिठाई ग्रामिका- मुरपा थाना - बालूमाथ द्वारा आवेदन दिया गया है कि मिठाई- मुरपा के उत्पादन 44 प्लॉट नं०- 564 रकबा 0.12 एकड़ मूला का मेरू पिकाजी द्वारा मिठाई के नाम खरीदने के लिए उपर उचित निर्देश है। इलाके के खसियान में खसानी- 583 प्लॉट नं० 966 रकबा 0.15 एकड़ बना है जो आठव बिहार सरकार वस ले गया है। साथ ही आवेदन के आलोक में वाद की कार्यवाही आरंभ की जाती है। उपाय पक्ष से निवेदन किया करे। उपाय पक्ष आपने अपने दायरे के समर्थन में वाद की आगली विधि को उपस्थित रहे। वाद की आगली विधि 13.10.21 निर्धारित की जाती है।

अंचल अधिकारी
बालूमाथ

बसंती

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ ।

आदेश पत्रक

न पत्रक - ता० _____ से _____

व - बालूमाथ जिला- सातेहार

वाद संख्या- 34 / 2021-22

का प्रकार _____

आदेश की सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में रिपोर्ट की तारीख सहित
1	2	3
16.10.21	अभिलेख उपस्थापित । मूक में विद्विष्ट निर्दि 13.10.21 को अन्तर्गत करने के कारण होने पर अन्तर्गत की जायजिरी नहीं हो पायेगी अन्तर्गत दिनांक 21.10.21 को दिव । 16.10.21 मंचल अधिकारी बालूमाथ	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में रिपोर्ट की तारीख सहित
25.10.21	अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पक्ष उपस्थापित । द्वितीय पक्ष की जांच अन्तर्गत जाय है प्रथम पक्ष के द्वारा इवेल अन्ति पक्ष अन्तर्गत जायदारी कायम करे हेतु, अन्ति अन्ति अन्ति गए अन्तर्गत को अन्ति हेतु, 22.11.21 को विद्विष्ट न जायगी । 25.10.21 मंचल अधिकारी बालूमाथ	
22.11.21	अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पक्ष उपस्थापित । द्वितीय पक्ष अन्तर्गत, अन्तर्गत दिनांक 11.12.21 को दिव । 22.11.21 मंचल अधिकारी बालूमाथ	

आदेश पत्रक

से

तक

ता०
मधुनाथ जिला- लातेहार

वाद संख्या- 34 /2021-22

विविध वाद

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

1	2	3
11-12-2021	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम उपस्थापित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। अधीनस्थों के अन्य सख्तों की में उपस्थित रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। अभिलेख 10.01.2022 के निर्धारित करें। अंशु अधिकारी लातेहार	
10.1.22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। वाद की अंतिम तिथि 18.02.2022 के निर्धारित की जा रही है। अंशु अधिकारी लातेहार	

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक - सं०

से

अंचल - बालूगढ़ जिला - सातहर

याद संख्या- 34 / 2021

तक

याद का प्रकार

नियंत्रण

आदेश की सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
4.02.22	अतिरिक्त उपस्थिति। उक्त रात उपस्थित। वाहनी इन्जनी-मिनि कारेंगे हेतु दिनांक 25.2.22 को हटें। 18/2/22 अंचल अधिकारी बालूगढ़	
5.02.2022	अतिरिक्त उपस्थिति। उक्त रात उपस्थित। उक्त रूग्नि वर्तमान समय में हाल में के प्रभाव शुद्ध सिद्ध। उपर्युक्त में उक्तान्त जगह में होने में उसे सकाराती अति माना जाता है। वर्तमान में सकाराती अति पर ज्ञान प्राप्त करने में जिला स्तर के एक लक्ष्यी जगह है। इस मंडल कार्य एक वाहनी कारवाई सकाराती की जाती है। जिला स्तर के उपर्युक्त सिद्ध। उपर्युक्त के प्रभाव अंतर्गत कारवाई की जाती है। अंचल अधिकारी बालूगढ़	